

मुं नं 83  
2022

रोडिलाय जनम व्याली

अर्थन - पत्र 212 R.T. Act

16.6.23 पत्रावली आग मूल वाद री वादी।  
जर्ही वे अर्थन - पत्र शीघ्र पुनर्वाड  
एवं वाद एवाजि एवागे का अर्थन  
पत्र प्रस्तुत करने पर मूल वाद  
वे साथ समद का गडी। अर्थन  
पत्र पर अविगत जर्ही एवं जर्ही  
बो पुन जाका वादी अग वाद  
नही चलाने पर वाद का एवाजि  
बिना जा चुका है। अर्थन - पत्र  
212 R.T. Act वाद का भाग हिन  
है। इसलिए अब अर्थन - पत्र को  
चलाये जाने का कोड अर्थन  
नहीं है।

अतः जर्ही का अर्थन - पत्र 212  
R.T. Act एवाजि किया जाता है।  
पत्रावली निर्णित शुभार होकर चर्चा  
नम्बर से कम हो, तथा चाखले  
दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
कोटपुतली (जयपुर)